1.1.3.24

Regular Civil Suit A No. [illegible]/2023

# न्यायालय : द्वितीय अति० प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय भोपाल

(समक्ष – मोहम्मद मूसा खॉन)

Registration No. 11/2023

Filing No. 104/2023

CNR No. MP040200-00148-2023

Filing Date 11-01-2023

[redacted] ——— आवेदिका

विरूद्ध

[redacted] ——— अनावेदक

| | | |
|---|---|---|
| आवेदिका द्वारा | : | श्री उमेश पाण्डेय अधिवक्ता। |
| अनावेदक द्वारा | : | श्री वाहिद खान अधिवक्ता। |

निर्णय

(आज दिनांक 04.02.2023 को घोषित)

1— आवेदिका/पत्नी ने अनावेदक/पति के विरूद्ध धारा 2 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह दिनांक 28.06.2021 को विघटित घोषित किए जाने की सहायता के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से दिनांक 28.06.2021 को मुस्लिम रीतिरिवाज के अनुसार भोपाल संपन्न हुआ था,

4.2.23

मोहम्मद मूसा खान

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश

जिससे कोई संतान नहीं है

3— आवेदिका का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाह के उपरांत वह अनावेदक के घर पर निवासरत रही थी और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया था लेकिन दोनो पक्षों के बीच गंभीर मतभेद होने से साथ में रहना संभव नहीं रहा। आपसी मनमुटाव एवं तनाव के चलते आवेदिका अनावेदक से 06 माह से अलग निवास कर रही है और शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुये है। आवेदिका का अनावेदक के साथ पति—पत्नी के रूप मे रहना संभव नहीं है। इसलिये आवेदिका का अनावेदक से हुये विवाह दिनांक 28.06.2021 को विघटित घोषित किया जाकर विवाह बिच्छेद की डिकी दी जावे।

4— अनावेदक ने वादोत्तर, प्रस्तुत नहीं किया। उभयपक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया है। अनावेदक ने आवेदिका के हित में विवाह विच्छेद की डिकी दिये जाने एवं आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है।

**प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि**

1. क्या आवेदिका अनावेदक के विरुद्ध विवाह दिनांक 28.06.2021 को राजीनामा के आधार पर विवाह विच्छेद की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है ?
2. सहायता एवं व्यय ?

## निष्कर्ष के आधार

5— उभयपक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजीनामे पर उभयपक्ष के कथन लिये गये। उभयपक्ष ने दिनांक 28—06—2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार विवाह होना तथा वैचारिक मतभेद के कारण दिनांक—25—04—2022 से अलग—अलग रहने का कथन किया है, उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। वे विवाह—विच्छेद चाहते हैं।

6— उभयपक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी बताया गया है कि अनावेदक द्वारा विवाह में दी गयी मेहर की राशि 51,786/—रूपये एवं स्थायी भरण पोषण की राशि मिलाकर कुल पांच लाख पचास हजार रूपये का चेक के माध्यम से आवेदिका को प्रदान

4.2.23

मोहम्मद नूर खान
[redacted] सिविल प्रधान [redacted]
[redacted] न्यायालय [redacted]

दिया गया है। अब इस संबंध में कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष के संसर्ग से कोई संतान नहीं है। उभयपक्ष के मध्य लंबित सारे प्रकरण राजीनामे के आधार पर समाप्त कर लिये गये है।

7— उभयपक्ष ने अपनी साक्ष्य के समर्थन में अपना समझौता अनुबंध पत्र प्रदर्श पी 1, आवेदिका का आधार कार्ड प्रदर्श पी 02 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श पी 02सी एवं निकाहनामा प्रदर्श पी 3 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श पी 03सी है, शादी का कार्ड प्रदर्श पी 04, शादी का फोटो प्रदर्श पी 05, अनावेदक का आधार कार्ड प्रदर्श पी 01 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श पी 01सी से प्रदर्शित करायी है।

8— उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया है। राजीनामा के अनुसार आवेदिका ने अनावेदक से तलाक की मॉग की जिसके आधार पर अनावेदक ने आवेदिका को तलाक ए बाइन दिनांक—25.04.2022 को दे दिया है। इसलिये राजीनामा प्रमाणित होना पाया जाता है। इस संबंध में *माननीय बाम्बे हाईकोर्ट खंडपीठ औरंगाबाद द्वारा क्रिमिनल एप्लीकेशन 1014 / 166 शेख तस्लीम शेख हकीम विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य* में प्रतिपादित सिद्धांत अनुकरणीय है। इसके अनुसार सहमति के आधार पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री दी जा सकती है। *माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत आसिफ इकबार विरूद्ध श्रीमती शाफिया एमएफ—ए नंबर 101928 / 2021* में पारित आदेश में खंडपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुकरणीय है कि आपसी सहमति के आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिक्री दी जा सकती है।

09— उभयपक्ष के मध्य सुलह के सारे प्रयास विफल हो चुके है। उभयपक्ष सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री चाहते है। आवेदिका ने मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 02 के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिये याचिका प्रस्तुत की है। उभयपक्ष मुस्लिम है और आवेदिका की मांग पर अनावेदक ने आवेदिका को तलाक ए बाइन दिनांक—25.04.2022 को दे दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अनुसार तलाक ए बाइन भी तलाक का रूप है और जो कि सिंगल तलाक होता है और पूर्ण भी हो जाता है। उभयपक्ष द्वारा सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की मांग की गयी है। यह प्रकरण मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह विच्छेद को

4.2.23

मोहम्मद मूसा खान
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल

FOR COPYING FEES ONLY

लेकर है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 15 सीपीसी के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय को धारा 2 मुस्लिम विवाह विच्छेद खुला की डिक्री देंने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

10— इस प्रकरण में भी उभयपक्ष ने सहमति एवं राजीनामा के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है। अतः राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष के निवेदन पर निम्न आशय का आदेश एवं जयपत्र पारित किया जाता है कि—

(ए) आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुए विवाह दिनांक 28.06.2021 को डिक्री दिनांक से विघटित घोषित किया जाता है।

(बी) उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(सी) अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या प्रमाण पत्र अनुसार जो न्यून हो लगाया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

ोपाल
ेनांक : 04.02.2023

| | |
|---|---|
| निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित। | मेरे निर्देश पर टंकित। |
| 4.2.23 | 4.2.23 |
| (मोहम्मद मूसा खॉन) | (मोहम्मद मूसा खॉन) |
| द्वितीय अति0 प्रधान न्यायाधीश | द्वितीय अति0 प्रधान न्यायाधीश |
| कुटुम्ब न्यायालय भोपाल | कुटुम्ब न्यायालय भोपाल |

13/2/23

प्रतिलिपि – डिक्री

# DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, Order XX Rules 6 and 7)

R.C.S. HM No. 84A/2021

THE COURT OF II ADDL. PRINCIPAL JUDGE FAMILY COURT BHOPAL M.P.

Registration No. 11/2023
Filing No. 104/2023
CNR No. MP040200-00148-2023
Filing Date 11-01-2023

Plantiff : [redacted] .............आवेदिका

– एवं –

Defendent : [redacted] .............अनावेदक

THE COURT OF: IInd Additional Principal Judge, Family Court, Bhopal
Claim for : आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 02 मुस्लिम विवाह विघटन
This suit coming on this day for final disposal before me in the presence of :

- (for the Plaintiff) : श्री उमेश पांडे अभिभाषक।
- (for the Defendant) : श्री वाहिद खान अभिभाषक।

It is ordered and decreed that :

(अ) आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुए विवाह दिनांक 28.06.2021 को डिक्री दिनांक से विघटित घोषित किया जाता है।

(ब) उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(स) अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या प्रमाण पत्र अनुसार जो न्यून हो लगाया जावे।

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

मोहम्मद मूसा खान
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल